भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2656

जिसका उत्तर 22 दिसंबर, 2022 को दिया जाना है।

***

लघु सिंचाई चैनलों का पुनर्स्थापन

2656. श्रीमती पूनम महाजन:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार के पास लघु सिंचाई चैनलों, जिन्हें गांवों में खेतों की सिंचाई के लिए बनाया गया था, को पुनर्स्थापित, अनुरक्षित और पुनर्जीवित करने के लिए कुछ विशिष्ट योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के पास ऐसे छोटे चैनलों और नए बनाए गए चैनलों की मरम्मत और रखरखाव संबंधी कोई आंकड़ें हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) और (ख): जल राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई अवसंरचना का पुनरुद्धार, अनुरक्षण और संरक्षण करना संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। भारत सरकार, चल रही स्कीमों के अंतर्गत स्कीमों के मानदण्डों के अनुसार चिह्नित परियोजनाओं को तकनीकी सहायता और आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हालांकि, इस समय, मंत्रालय के पास लघु सिंचाई परियोजनाओं के पुनरुद्धार, अनुरक्षण अथवा संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई स्कीम उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ): लघु सिंचाई परियोजनाओं अथवा उनके घटकों की मरम्मत और अनुरक्षण के साथ-साथ लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सृजित नई सिंचाई क्षमता संबंधी विवरण कार्यान्वयन करने वाली राज्य सरकारों द्वारा स्वयं ही रखे जा रहे हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- हर खेत को पानी (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी) के सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) घटक के अंतर्गत स्कीम के मानदंडों के अनुसार चिह्नित लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, अर्थात वर्ष 2019-2022 के दौरान, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के एसएमआई घटक के अंतर्गत इस मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली परियोजनाओं द्वारा 92,830 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

***